

## न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड (राज.)

क्रमांक – ५५

दिनांक 20/7/23

### आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक: 41 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा दिनांक 22.07.2023 व 23.07.2023 क्रमशः चतुर्थ शनिवार एवं रविवार के राजकीय अवकाशों में श्री अंकुर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झालरापाटन, जिला झालावाड की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई थी, परन्तु श्री अंकुर अग्रवाल को आवश्यक कार्य हेतु जयपुर जाने के कारण आपसी सहमति के आधार पर उक्त दिनांक 22.07.2023 व 23.07.2023 को झालावाड न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड अभिवृद्धि व अन्य आवश्यक प्रकृति के कार्य, जिसमें धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना व धारा 176 (1क) के तहत मृत्यु समीक्षा जाँच करना शामिल है, को करने के लिए श्री मनोज सिंह फौजदार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 झालावाड को अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा पूर्व का मूल आदेश यथावत रहेगा।

— 54 —

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
झालावाड।

क्रमांक – 821

दिनांक 20/7/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड
- 02- श्री अंकुर अग्रवाल, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन।
- 03- श्री मनोज सिंह फौजदार, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 झालावाड।
- 04- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
- 05- प्रभारी अधिकारी वायर लैस केन्द्र झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड जिले के समस्त थानाधिकारियों को उक्त आदेश से जरिये वितन्तु संदेश सूचित किया जावे ।
- 06- आदेश/संबंधित पत्रावली ।
- 07- सिरस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षेत्र की [website-districts.ecourts.gov.in/jhalawar](http://website-districts.ecourts.gov.in/jhalawar) पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
झालावाड।